[illegible]
मौजा रूपवास पंचगाई परगना व तहसील सिकन्दराबाद [illegible]

न्यायालय उप जिलाधिकारी सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर

वाद सं0 टी20141117044167

लक्ष्मी ऐजुकेशनल सोसायटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
धारा 143 जमी0वि0 एवं भूमि व्य0 अधि0
मौजा रूपवास पंचगाई परगना
व तहसील सिकन्दराबाद।

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लक्ष्मी ऐजुकेशनल सोसायटी1/621 वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा अध्यक्ष हिमांशु शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा निवासी डी0 620 भजनपुरा दिल्ली–53 के द्वारा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी खाता संख्या 435 गाटा संख्या 246/1053 रकबई 0.1530 हैक्टे0 व खाता संख्या 33 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0133 हैक्टे0 व खाता संख्या 290 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 व खाता संख्या 438 गाटा संख्या 245म रकबई 0.2400 हैक्टे0 व गाटा संख्या 245म रकबई 0.0430 हैक्टे0 कुल दो किता रकबई 0.2830 हैक्टे0 व खाता संख्या 609 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 व खाता संख्या 313 गाटा संख्या 243 रकबई 0.6400 हैक्टे0 व खाता संख्या 189 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0250 हैक्टे0 कुल 1.1670 हैक्टे0 भूमि स्थित ग्राम रूपवास पंचगाई परगना व तहसील सिकन्दराबाद का स्वामी व मालिक है। प्रार्थी ने उक्त भूमि मे चार दीवारी निर्मित कर ली है। उक्त वर्णित भूमि मे कृषि नही हो रहा है। अतः प्रार्थी की भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सिकन्दराबाद से कराई गई। तहसीलदार सिकन्दराबाद की जांच आख्या दिनांक 20.12.2014 प्राप्त हुई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का वाद किसी न्यायालय मे विचाराधीन नही है। भूमि ज0वि0 अधिनियम की धारा 132 के अर्न्तगत सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है। भूमि किसी विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा अधिगृहीत अथवा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नही है। भूमि स्थित ग्राम रूपवास पंचगाई परगना व तहसील सिकन्दराबाद के गाटा संख्या 241म/0.0133 हैक्टे0, 241म/0.0130 हैक्टे0, 241म/0.0130 हैक्टे0, 241म/0.0250 हैक्टे0, 243/0.6400 हैक्टे0, 245/0.2830 हैक्टे0 व 246/1053 रकबई 0.1530 हैक्टे0 कुल सात किता रकबई 1.1403 हैक्टे0 मे स्थल पर चार दीवारी बनी रही है। उक्त भूमि मे मौके पर कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन आदि का कार्य नही हो रहा है। जांच मे प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सिकन्दराबाद की जांच आख्या एवं अन्य साक्ष्यों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व तहसीलदार सिकन्दराबाद की जांच आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है बल्कि भूमि अकृषिक कार्य मे उपयोग हो रही है। अतः ऐसी दशा मे प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने मे कोई वैधानिक अवरोध प्रतीत नही होती है।

<u>आदेश</u>

खाता संख्या 33 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0133 हैक्टे0 [illegible]
खाता संख्या 290 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 लगानी [illegible]
[illegible] गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 लगानी [illegible]

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप जिलाधिकारी सिकन्दराबाद जिला [illegible]

वाद सं० टी201411170441[illegible]

स्वामी [illegible] बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

धारा 143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधि० [illegible] परगना व तहसील सिकन्दराबाद।

तहसीलदार

सिकन्दराबाद।

आलोच्य वाद में न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2014 के अन्तर्गत खाता संख्या 33 गाटा संख्या 2411 रकबई 0.0130 हैक्टेयर लगानी 0.65 रु०, खाता संख्या [illegible] गाटा संख्या 2411 रकबई 0.0130 हैक्टेयर लगानी 0.65 रु०, खाता संख्या [illegible] गाटा संख्या 2411 रकबई 0.0130 हैक्टेयर लगानी 0.65 रु०, खाता संख्या 168 गाटा संख्या 2411 रकबई 0.0250 हैक्टेयर लगानी 01.25 रु०, खाता संख्या 313 गाटा संख्या 240 रकबई 0.6400 हैक्टेयर लगानी 22.00 रु०, खाता संख्या 418 गाटा संख्या 248 रकबई 0.2030 हैक्टेयर लगानी [illegible] रु० व खाता संख्या 438 गाटा संख्या 243/1523 रकबई 0.1530 हैक्टेयर लगानी [illegible] रु० [illegible] भूमि स्थित ग्राम [illegible] परगना व तहसील सिकन्दराबाद जिला [illegible] को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया गया है।

अतः उपरोक्त आदेश का राजस्व अभिलेखों में [illegible] कर [illegible] करें और इस न्यायालय को अविलम्ब [illegible] सुनिश्चित करें।

(राहुल कुमार)

उप जिलाधिकारी

सिकन्दराबाद।

संख्या [illegible] /एस०टी० दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि– उप निबन्धक सिकन्दराबाद को इस आशय से कि वह [illegible] नियमावली के नियम 137 के अनुसार कार्यवाही करते हुये [illegible] करें।

(राहुल कुमार)

उप जिलाधिकारी

सिकन्दराबाद।

सत्य प्रतिलिपि